झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

सी एम पी नंबर 427/2020

सरोज कुमार और अन्य .....

याचिकाकर्ता

\- बनाम

झारखंड राज्य और अन्य.....

विपक्षी पार्टियां

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिए .....श्री शरद कौशल, अधिवक्ता

उत्तरदाता (बीआईटी) सिंदरी के लिए:- श्री एमके रॉय, एडवोकेट

3/22.01.2021 श्री इंद्रजीत सिन्हा, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वत अधिवक्ता, श्री शरद कौशल, प्रतिवादी राज्य के लिए विद्वत अधिवक्ता और श्री एमके रॉय, प्रतिवादी बीआईटी, सिंदरी के लिए विद्वत अधिवक्ता को सुना।

इस सीएमपी याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर की गई है।

यह सीएमपी याचिका WP (S) नंबर 3260/ 2019 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2020 के संशोधन के लिए दायर की गई है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश द्वारा रिट याचिका की अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता के दावे को 11.02.2019 को खारिज कर दिया गया था, जिसे रद्द करने का आदेश अनजाने में पारित नहीं किया गया था और WP (S) नंबर 6586/2016 को दाखिल करने तारीख से तीन साल पहले के भुगतान किए जाने वाले मौद्रिक लाभ के लिए आगे संशोधन की मांग की गई है और अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को उक्त आदेश में दर्ज किया जा सकता है।

यह प्रतीत होता है कि अनजाने में 11.02.2019 के अस्वीकृति आदेश को रद्द नहीं किया गया है जब आदेश पारित किया गया था, हालांकि रिट याचिका की अनुमति दी

गई थी और अनजाने में ऐसा हुआ है और इस मामले के मद्देनजर 11.02.2019 के लगाए गए आदेश को रद्द कर दिया गया है।

जहा तक WP (S) No. 6586/ 2016 के तीन साल से पहले के मौद्रिक लाभ के लिए याचिकाकर्ता के दावे का संबंध है, न्यायालय इस तथ्य के मद्देनजर उस दिशा को संशोधित करने के लिए इच्छुक नहीं है कि रिट याचिका को WP (S) No. 2785/2018 में इस न्यायालय द्वारा पारित समान आदेश के मद्देनजर निष्पादित किया गया था और WP (S) No. 2785/2019 में पारित आदेश के संदर्भ में मौद्रिक लाभ के लिए निर्देश प्रदान की गई थी।जहां तक इस संशोधन का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा यह अनुमति नहीं दी जा रही है कि जैसा दिनांक 13.10.2020 के आदेश में निर्देशित मौद्रिक लाभ का कारण है, यह बरकरार है।

दिनांक 13.10.2020 के आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को लाभ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त/उपस्थापित करने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर प्रदान किया जाएगा।

दिनांक 13.10.2020 के आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

बता दें कि यह आदेश दिनांक 13.10.2020 के आदेश का एक हिस्सा है।

उपरोक्त शर्तों में यह सी एम पी की अनुज्ञात की जाती है और इसका निष्पादन किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी , न्याया0)

सी/